

**न्यायालय – सिराज अली, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर**  
**जिला –बालाघाट, (म.प्र.)**

वि.आप.प्र.क.कमांक-06 / 2014  
संस्थित दिनांक-28.01.2014

1—श्रीमति प्रमिला पति अगहनसिंह, उम्र 28 वर्ष, जाति गोंड,  
 2—प्रवीण पिता अगहनसिंह, उम्र 3 वर्ष, जाति गोंड,  
 नाबालिग वली मां श्रीमति प्रमिला पति अगहनसिंह, उम्र 28 वर्ष, जाति गोंड,  
 दोनों निवासी—ग्राम अरण्डी टोला,  
 हाल मुकाम—बन्ना, थाना व तहसील बैहर जिला बलाघाट (म.प्र.)

— — — — — आवेदकगण

**// विरुद्ध //**

अगहनसिंह पिता महरू, उम्र 30 वर्ष, जाति गोंड,  
 निवासी—ग्राम अरण्डीटोला, थाना मलाजखंड,  
 तहसील बिरसा जिला बालाघाट (म.प्र.)

— — — — — अनावेदक

**// आदेश //**

(आज दिनांक-06/08/2014 को पारित)

1— इस आदेश द्वारा आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन अंतर्गत धारा-125 दण्ड प्रक्रिया संहिता वास्ते भरण-पोषण राशि का निराकरण किया जा रहा है।

2— आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र संक्षेप में यह है कि आवेदक क्रमांक-1 का अनावेदक से लगभग 9 वर्ष पूर्व ग्राम बन्ना में गोंड जाति व प्रथा के अनुसार विवाह हुआ था। विवाह के पश्चात् आवेदिका क्रमांक-1 बतौर पत्नि की हैसियत से अनावेदक के ग्राम अरण्डीटोला में निवास करने लगी। आवेदिका क्रमांक-1 व अनावेदक के संसर्ग से क्रमशः कुमारी मीना, कुमारी निर्मला, प्रदीप एवं प्रवीण का जन्म हुआ। विवाह के पश्चात् अनावेदक ने आवेदिका को लगभग 2 वर्ष तक ठीक से रखा से उसके पश्चात् उसे दहेज के लिए मारपीट कर प्रताड़ित किया जाने लगा। अनावेदक के व्यवहार में परिवर्तन आ जायेगा यह सोचकर आवेदिका उसके साथ रही किन्तु अनावेदक के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया और उसे आये दिन मारपीट कर प्रताड़ित किया जाता रहा। अनावेदक द्वारा प्रताड़ित किये जाने पर आवेदिका क्रमांक-1 द्वारा थाना मलाजखंड में रिपोर्ट दर्ज करायी गई किन्तु पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। आवेदिका द्वारा समय-समय पर ग्राम अरण्डीटोला व ग्राम बन्ना में सामाजिक बैठक रखी गई, किन्तु अनावेदक के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया।

दिनांक-05.08.2013 को अनावेदक द्वारा आवेदिका को जान से मारने की नियत से अत्यधिक मारपीट की गई, जिससे आवेदक क्रमांक-1 अपनी जान बचाकर अपने पुत्र आवेदक क्रमांक-2 के साथ ग्राम बन्ना आ गई। उक्त घटना की रिपोर्ट उसके द्वारा थाना मलाजखंड में दिनांक-08.08.2013 की गई। वर्तमान में आवेदिका अपने मायके में अपने पिता के साथ निवास कर रही है। आवेदिका के पास आय का कोई साधन नहीं है। वह मुश्किल से इधर-उधर से मांग कर अपना व अपने पुत्र का भरण-पोषण कर रही है। आवेदक क्रमांक-1 को अपने तथा पुत्र आवेदक क्रमांक-2 के भरण-पोषण हेतु लगभग 10,000/-रुपये का प्रतिमाह खर्च आता है, जिसे वहन करने में आवेदक क्रमांक-1 सक्षम नहीं है। अनावेदक ड्रायवर का कार्य करता है, जिससे प्रतिमाह 5,000/-रुपये वेतन प्राप्त होता है तथा अन्य कार्यों से 4,000/-रुपये कमा लेता है। अनावेदक के पास 1 एकड़ भूमि है, जिसमें रबी की फसल होती है, जिससे प्रतिवर्ष लगभग 50,000/-रुपये आय अर्जित करता है। अनावेदक साधन सम्पन्न व्यक्ति है, जो आवेदकगण का भरण-पोषण करने में सक्षम है। आवेदकगण को प्रतिमाह 10,000/-रुपये प्रतिमाह भरण-पोषण राशि अनावेदक से दिलायी जावे।

3- अनावेदक द्वारा प्रकरण में जवाब पेश नहीं किया गया है और वह एकपक्षीय है।

4- प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि :-

1. क्या आवेदिका क्रमांक-1 एवं आवेदक क्रमांक-2, अनावेदक की विवाहिता पत्नि एवं पुत्र है ?
2. क्या आवेदिका क्रमांक-1 पर्याप्त कारणों से अनावेदक से पृथक रह रही है ?
3. क्या अनावेदक पर्याप्त साधनों वाला व्यक्ति होकर आवेदकगण के भरण-पोषण में उपेक्षा बरत रहा है ?
4. क्या आवेदकगण, अनावेदक से प्रतिमाह भरण-पोषण राशि प्राप्त करने के हकदार है ?

#### विचारणीय बिन्दु क्रं.-1 से 4 पर एक साथ सकारण निष्कर्ष :-

5- आवेदिका ने एकमात्र स्वयं की एकपक्षीय साक्ष्य पेश की है। प्रमिलाबाई (आ.सा.1) ने अपने मुख्यपरीक्षण में उसके अभिवचन के अनुरूप कथन किया है कि अनावेदक उसका पति है। उसका विवाह 9 वर्ष पूर्व जाति-रिवाज के अनुसार अनावेदक से हुआ था। दोनों के संसर्ग से कुमारी मीना उम्र 7 वर्ष, कुमारी निर्मला 5 वर्ष, प्रदीप उम्र 4 वर्ष तथा आवेदक क्रमांक-2 प्रवीण उम्र 3 वर्ष उत्पन्न हुये। विवाह पश्चात्

अनावेदक उसे दहेज के लिए मारपीट कर प्रताड़ित करता था, जिसकी रिपोर्ट थाना मलाजखंड में की थी तथा सामाजिक बैठक भी रखी थी, लेकिन अनावेदक के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया। दिनांक-05.08.2013 को अनावेदक द्वारा उसे जान से मारने की नियत से अत्यधिक मारपीट की गई, वह किसी तरह अपनी जान बचाकर अपने पुत्र प्रवीण को लेकर ग्राम बन्ना आ गई। अनावेदक द्वारा उसके बाद से उसकी तथा उसके पुत्र की कोई खोज-खबर नहीं ली गई। वह किसी तरह अपना जीवन यापन कर रही है। उसके पास आय का कोई साधन नहीं है। उसे तथा उसके पुत्र को भरण-पोषण हेतु लगभग 10,000/-रूपये का खर्च आता है। अनावेदक ड्रायवर का कार्य करता है तथा उसके नाम पर एक एकड़ दो फसली कृषि भूमि है। उक्त कृषि भूमि में धान, गेहूँ, चना आदि की फसल होती है जिससे करीब 1,50,000/-रूपये आय होती है। अनावेदक को ड्रायवरी के कार्य से 5 से 7 हजार रूपये प्रतिमाह आय अर्जित होती है। अनावेदक उसे व उसके पुत्र का भरण-पोषण करने में सक्षम है।

6— आवेदिका की एकपक्षीय साक्ष्य का खण्डन नहीं हुआ है। इस कारण उसकी साक्ष्य पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है। आवेदिका की साक्ष्य से यह तथ्य प्रकट होता है कि अनावेदक उसका पति है तथा उसका जाति रीति-रिवाज के अनुसार 9 वर्ष पूर्व विवाह हुआ था। उभयपक्ष के वैवाहिक जीवन के संसर्ग से आवेदक क्रमांक-2 प्रवीण उत्पन्न हुआ। इस प्रकार अनावेदक की आवेदिका क्रमांक-1 विवाहिता पत्नि एवं आवेदक क्रमांक-2 वैध पुत्र होना प्रकट होता है। आवेदक क्रमांक-2 के अलावा अन्य तीन संतान मीना, निर्मला व प्रदीप वर्तमान में अनावेदक के पास निवासरत्त होना प्रकट होते हैं। आवेदिका को अनावेदक द्वारा दहेज के लिए मारपीट कर प्रताड़ित करने के कारण वह अपने पुत्र आवेदक क्रमांक-2 के साथ ग्राम बन्ना में निवासरत्त है और अनावेदक ने आवेदकगण के भरण-पोषण की व्यवस्था नहीं की है। आवेदिका क्रमांक-1 का अनावेदक से पृथक निवास करने का पर्याप्त कारण होना प्रकट होता है।

7— अनावेदक वाहन चालक एवं खेतिहर व्यक्ति होने के संबंध में आवेदिका ने मौखिक साक्ष्य के अलावा दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं की है, किन्तु उक्त तथ्य का खण्डन न होने से यह उपधारणा की जा सकती है कि अनावेदक वाहन चालक का कार्य कर लगभग 5,000/-रूपये प्रतिमाह आय तथा एक एकड़ कृषि भूमि से फसल प्राप्त कर लगभग 50,000/-रूपये वार्षिक आय अर्जित करता है। अनावेदक पर आवेदकगण के अलावा तीन अन्य संतानों के भरण-पोषण का भी दायित्व होना प्रकट होता है। अनावेदक द्वारा आय अर्जित करने में सक्षम व्यक्ति होते हुए भी आवेदकगण के भरण-पोषण की व्यवस्था नहीं की गई है। आवेदकगण को अनावेदक की पत्नी एवं पुत्र के रूप में ऐसा जीवन स्तर के निर्वहन का अधिकार है, जो कि न तो विलासिता पूर्ण हो और न ही अभाव ग्रस्त बल्कि वह अनावेदक के सामाजिक स्तर व चरित्र के अनुसार

सम्मानजनक जीवन व्यतीत कर सके।

8— उपरोक्त संपूर्ण तथ्यों के विश्लेषण के निष्कर्ष उपरान्त आवेदकगण का आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा-125 दण्ड प्रक्रिया संहिता स्वीकार किया जाकर पक्षकारगण के सामाजिक व जीवन यापन स्तर तथा वर्तमान परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए अनावेदक को आदेशित किया जाता है कि भरण-पोषण के रूप में आवेदिका क्रमांक-1 को राशि 800/- (आठ सौ रुपये) तथा आवेदक क्रमांक-2 को राशि 700/- (सात सौ रुपये) प्रतिमाह आवेदन प्रस्तुति दिनांक से अदा करे।

आदेश खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व  
दिनांकित कर पारित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली)

न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,  
जिला-बालाघाट

(सिराज अली)

न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,  
जिला-बालाघाट

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि  
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)